समाहरणालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

(जिला स्थापना शाखा)

पत्रांक....................../स्था0   दिनांक......................./

प्रेषक,

लोकेश कुमार सिंह, भा0प्र0से0
जिला पदाधिकारी,
प0 चम्पारण, बेतिया।

सेवा में,

सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
प0 चम्पारण, बेतिया।
सभी कार्यालय प्रधान,
इस जिला में अवस्थित लोक उपक्रमों
(यथा बोर्ड, सोसाईटी पर्षद, निगमों इत्यादि)

विषयः– चल एवं अचल सम्पति तथा दायित्वों की विवरणी समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 345 दिनांक 07.01.2015 एवं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 33 दिनांक 12.01.2015 के आलोक में कहना है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरकार तथा लोक उपक्रम (यथा बोर्ड, सोसाईटी, पर्षद, निगम इत्यादि) के वर्ग "क" "ख" एवं "ग" के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के चल एवं अचल सम्पति तथा दायित्वों की विवरणी को बेबसाईट पर अपलोड किया जाना है। इस हेतु प्रारंभिक तैयारी के क्रम में पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 39/स्था0, दिनांक 10.01.2015 द्वारा विहित प्रपत्र संलग्न कर आपको भेजते हुए उसमें वर्ग "क" "ख" एवं "ग" के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सूची की सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 EXCEL SHEET में) के साथ दिनांक 20.01.2015 तक मांगी गई थी। कुछ ही कार्यालयों से उक्त सूची निर्धारित तिथि तक प्राप्त हुई है। लेकिन अभी भी अधिकांश कार्यालयों से सूची की सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0) के साथ उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिन्हें उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 28.01.2015 तक अंतिम तिथि निर्धारित किया जाता है एवं विलम्ब के लिए संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें।

अब वर्ग "क" "ख" एवं "ग" के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों से चल एवं अचल सम्पति तथा दायित्वों की विवरणी संलग्न विहित प्रपत्र में प्राप्त कर इस कार्यालय में एक साथ आपके द्वारा उपलब्ध कराया जाना है जिसें दिनांक 10.02.2015 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

चल एवं अचल सम्पति तथा दायित्वों की विवरणी विहित प्रपत्र में पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा तैयार किये जाने में निम्नांकित बिन्दूओं का पालन किया जाना अनिवार्य है:–

1. **चल एवं अचल सम्पति तथा दायित्वों की विवरणी ए4 साईज के सफेद रंग के कागज पर ही तैयार होना चाहिए, अन्याथा स्वीकार नही किया जायेगा।**
2. **उक्त विवरणी कम्प्यूटर टंकित होना चाहिए। हस्तलिखित एवं मैनुअल टाईप डाटा की स्वीकार नहीं किया जायेगा।**
3. **उक्त विवरणी पृष्ठ के एक ही तरफ कम्प्यूटर टंकित होना चाहिए ताकि डाटा स्कैनिंग में कठिनाई नहीं हो।** एक पदा0/कर्मी की विवरणी तीन पृष्ठ का ही होना चाहिए।

4. उक्त विवरणी का सभी कॉलम पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए तथा प्रत्येक पृष्ठ पर संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
5. पूर्व में आपके द्वारा पदाधिकारियों/कर्मचारियों की उपलब्ध कराई गई सूची का क्रमांक अंकित करते हुये पूर्ण रूप से भरे गये सम्पति विवरणियों को एक साथ निर्धारित समय सीमा के अन्दर इस कार्यालय में समर्पित करेंगें।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में त्रुटिरहित चल एवं अचल सम्पति तथा दायित्वों की विवरणी विहित प्रपत्र में दिनांक 10.02.2015 तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विहित प्रपत्र की सॉफ्ट कॉपी **वेबसाईट "www.westchamparan.bih.nic.in"** पर **Property Return Form 2015** के नाम से उपलब्ध है।

विश्वासभाजन

ह०-

(लोकेश कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 74 /स्था0, दिनांक 21.1.15

प्रतिलिपिः– श्री सचिन गुप्ता आई0टी0 मैनेजर, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उन्हें निदेशित किया जाता है कि सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पदाधिकारियों/कर्मचारियों की प्राप्त सूची को पंजीकृत कराना तथा चल अचल सम्पति एवं दायित्वों की प्राप्त होने वाली विवरणी को प्रतिदिन स्कैन कर संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी के डाटा के साथ सम्बद्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपिः– सिविल सर्जन, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/देशी चिकित्सा पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश है कि वे अपने अधीनस्थ सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अपने स्तर से उक्त सूचना भेजकर उनसे अनुपालन सुनिश्चित करावें।

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, बेतिया/बगहा/नरकटियागंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि आप अपने स्तर से भी सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उक्त सूचना से अवगत करा दें तथा यह भी निदेश दिया जाता है कि आईटी मैंनेजर, बेतिया द्वारा सम्पति का ब्योरा जमा किये जाने संबंधी प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के पश्चात् ही माह जनवरी 15 का वेतन निकासी करेंगे।

(लोकेश कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

21/01/15